मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ0 3-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत निःशक्त बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होनें शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. आवेदक सभी छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
4. बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक–पृथक भवनों में किया जावेगा।
5. छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति के लिये कम से कम पाँच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र अथवा छात्राओं का होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/–प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय इससे अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्रों के द्वारा बराबर–बराबर किया जायेगा।
7. विभाग द्वारा केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर का वहन किया जावेगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन–पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष

व्यवस्था छात्र/छात्राओं को स्वयं निजी तौर पर करनी होगी। इसके लिये विभाग का कोई दायित्व नहीं हैं।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रकिया
1	मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	गत उर्त्तीण परीक्षा की अंक–सूची।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
3	चिकित्सक द्वारा जारी 40 या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल **(sparsh.samagra.gov.in)** से
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक कॉलेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
5	आवेदक/आवेदिका के पासपोर्ट साईज का एक–एक फोटोग्राफ	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
6	आवेदक/आवेदिका का आधार की छायाप्रति (यदि हो तो)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
7	आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.	सत्यापन समग्र पोर्टल (**samagra.gov.in**) से

5. आवेदन करने का स्थान– लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रक्रिया –

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी सबंधित व्यक्ति का मोबाईल नम्बर भरना अनिवार्य होगा, इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति **mpedistrict** पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। छात्रगृह का संचालन कम कम से 5 निशक्त छात्रों अथवा छात्राओं के होने पर ही किया जायेगा। (इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में भी होगा)

7.4 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.5 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. अपीलः– समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

9. **रिमार्कः–** योजनान्तर्गत छात्रगृह की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विभाग द्वारा पूर्व से अधिकृत विभागीय संस्था/अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करते रहेंगे।

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्र./एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रतिलिपि :–

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन, भोपाल।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, विंध्याचल भवन भोपाल।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग